प्रेस नोट,दिनांक-23.09.2024 जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

वादी मुकदमा के पुत्र को आरोपीगणों द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाना/आत्महत्या कर लेने के अभियोग में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत गाँधी तिराहा से मवई फटकी के पास से 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

घटना का विवरण-

वादी मुकदमा के पुत्र (मृतक) के आरोपीगणों द्वारा पैसे न देने व उसका उत्पीड़न करने पर वादी के पुत्र द्वारा आत्महत्या कर लेने के संबंध में दिनांक 03.09.2023 को मु0अ0सं0 308/24 धारा 306 भादवि बनाम 03 नामजद अभियुक्तों का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा, अजीत सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कुण्डा प्रभारी निरीक्षक सतेन्द्र सिंह मय हमराह का0 जाहर सिंह, का0 विवेक मिश्रा, महिला आरक्षी दीपांजली गुप्ता, महिला आरक्षी पूजा यादव, का0 प्रेम सिंह, हे0का0 चालाक सुभाष यादव द्वारा तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त की गिरफ्तारी के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 308/24 धारा 306 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त, 1- राशिद उर्फ मोहम्मद हबीबुल इस्लाम पुत्र स्व0 इरसाद हुसैन निवासी रजनपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़, 2- अरसद उर्फ अशद पुत्र स्व0 अलम निवासी अत्तानगर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 22.09.2024 को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत गाँधी तिराहा से मवई फटकी के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1- राशिद उर्फ मोहम्मद हबीबुल इस्लाम पुत्र स्व0 इरसाद हुसैन निवासी रजनपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

2- अरसद उर्फ अशद पुत्र स्व0 अलम निवासी अत्तानगर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

प्रभारी निरीक्षक सतेन्द्र सिंह मय हमराह का0 जाहर सिंह, का0 विवेक मिश्रा, महिला आरक्षी दीपांजली गुप्ता, महिला आरक्षी पूजा यादव, का0 प्रेम सिंह, हे0का0 चालाक सुभाष यादव थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़

एसपी डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में गैंगस्टर एक्ट का 01 अभियुक्त गिरफ्तार

एएसपी पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी के नेतृत्व में गैंगस्टर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा दी जा रही थी दबिश

गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त की सुरागरसी पतारसी/ निगरानी आरक्षी कुलदीप गौतम थाना लीलापुर द्वारा की जा रही थी

आरक्षी कुलदीप गौतम के अथक प्रयास से गैंगस्टर हितेन्द्र सिंह उर्फ शनि सिंह को गिरफ्तार किया गया

आरक्षी कुलदीप गौतम के सराहनीय कार्य के लिये पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ महोदय द्वारा आरक्षी कुलदीप गौतम को प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया गया

अवैध मादक पदार्थो का अवैध व्यापार व गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त है अपराधी

गैंगस्टर हितेन्द्र सिंह उर्फ शनि सिंह पुत्र चन्द्रेश सिंह निवासी ग्राम विक्रमपट्टी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ पर गम्भीर धाराओं में थाना लीलापुर, थाना पीपरपुर जनपद अमेठी में दर्ज हैं अभियोग

अभियुक्त द्वारा अपने आपराधिक कृत्यों से समाज में भय एवं आतंक का माहोल पैदा कर आम जनता को आतंकित व भयभीत कर अनाधिकृत रूप से प्राप्त करते हैं आर्थिक, भौतिक व अनुचित लाभ

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत शिवसत पुल के पास से गैंगस्टर एक्ट के 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

प्रतापगढ़।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे प्रभावी कार्यवाही/ अभियान के तहत जनपदवासियों की सूरक्षा सुनिश्चित किये जाने एवं अपराध नियंत्रण के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री आनन्द कुमार राय के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक आनन्द पाल सिंह थाना दिलीपपुर के नेतृत्व में थाना दिलीपपुर पर दिनांक 22.09.2024 को मु0अ0सं0 162/2024 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 बनाम (गैंग लीडर) 1- (गैंगलीडर) गैंगस्टर हतेन्द्र सिंह उर्फ शनि सिंह पुत्र चन्द्रेश सिंह निवासी ग्राम विक्रमपट्टी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ व (गैंग के सदस्यों) 2- शुभम पटेल उर्फ सजृन सिंह पुत्र राकेश सिंह निवासी ग्राम सेमरी तालु का पुरवा थाना करछना जनपद प्रयागराज 3- गैंगस्टर नीरज सिंह पुत्र स्व0 शिवकुमार सिंह निवासी ग्राम मुरौग थाना पछावां गांव जनपद इटावा का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गैंगस्टर की गिरफ्तारी हेतु थाना दिलीपपुर पुलिस टीम द्वारा क्षेत्रान्तर्गत प्रभावी चेकिंग व अभियुक्त के संभावित स्थानों पर वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जानकारी कर दबिश दी जा रही थी-

इसी क्रम में दिनांक 23.09.2024 को क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री आनन्द कुमार राय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक दिलीपपुर श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 श्री दुर्गेश कुमार मय हमराह हे0का0 सुभाष विश्वकर्मा, का0 जगदीश विश्वकर्मा द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी, विवेचना के दौरान शिवसत पुल के पास से गैंगस्टर हितेन्द्र सिंह उर्फ शनि सिंह पुत्र चन्द्रेश सिंह निवासी ग्राम विक्रमपट्टी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

गैंगस्टर (गैंगलीडर) हितेन्द्र सिंह उर्फ शनि सिंह व इसके गैंग के सदस्यों द्वारा दिनांक 25.08.2022 को एक कार होण्डा सिविक फर्जी नम्बर प्लेट क साथ से प्रथ्वीगंज से हवाई पट्टी होते हुए हुमांयूपुल जामताली होते हुए जौनपुर जा

रहे थे। हुमांयू पुल के पास चेकिंग के दौरान इनके पास से 01 कुतंल 31 किलो 590 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ था। जिसके संबंध में थाना दिलीपपुर में मु0अ0सं0 14/2022 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट व धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। दिनांक 02.10.2020 को एक प्लास्टिक की बोरी में 11 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा सहित थाना पीपरपुर जनपद अमेठी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था जिसके संबंध में थाना पीपरपुर जनपद अमेठी में मु0अ0सं 327/20 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. हितेन्द्र सिंह उर्फ शनि सिंह पुत्र चन्द्रेश सिंह निवासी ग्राम विक्रमपट्टी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

गैंगस्टर हतेन्द्र सिंह उर्फ शनि सिंह पुत्र चन्द्रेश सिंह निवासी ग्राम विक्रमपट्टी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़

01- मु0अ0सं0-14/22 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट व 419/420/467/ 468/471 भादवि थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़

02- मु0अ0सं0 327/20 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट थाना पीपरपुर जनपद अमेठी

03- मु0अ0सं0 162/24 धारा 2/3 यूपी गैगस्टर एक्ट थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ

पुलिस टीमः-

उ0नि0 श्री दुर्गेश कुमार मय हमराह हे0का0 सुभाष विश्वकर्मा, का0 जगदीश विश्वकर्मा थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कोतवाली देहात, जनपद- प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

हत्या के प्रयास,मारपीट के अभियोग में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम नें थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम घाटमपुर से 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.09.2024 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत भदोही इण्टर कॉलेज के पास रात्रि में वादी व उसके मामा,साथी के साथ आरोपीगणों द्वारा एकराय होकर जान लेने के नियत से लाठी, डण्डो से मारपीट करने आदि आरोपों में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 318/24 धारा 115(2), 126(2), 109 बी0एन0एस0 बनाम 02 नामजद अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर, शिव नारायण वैस के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली देहात अभिषेक सिरोही के नेतृत्व में उ0नि0 मृत्युंजय पाण्डेय मय हमराह का0 विजय बहादुर, का0 आशुतोष तिवारी द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 318/24 धारा 115(2), 126(2), 109 बी0एन0एस0 में वांछित

अभियुक्त 1- राजा सिंह पुत्र ओमबहादुर सिंह निवासी ग्राम घाटमपुर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़, 2- दिवाकर सिंह पुत्र देशपति सिंह निवासी सराय देवराय थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत ग्राम घाटमपुर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1- राजा सिंह पुत्र ओमबहादुर सिंह निवासी ग्राम घाटमपुर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

2- दिवाकर सिंह पुत्र देशपति सिंह निवासी सराय देवराय थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास का विवरण-

1- अभियुक्त राजा सिंह पुत्र ओमबहादुर सिंह निवासी ग्राम घाटमपुर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

1. मु0अ0सं0 387 / 20 धारा 147, 419 ,420 504, 506 भादवि थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़

2. मु0अ0सं0 318 / 24 धारा 115(2),126(2)/109 बीएनएस थाना कोतवाली देहात

2- अभियुक्त दिवाकर सिंह पुत्र देशपति सिंह निवासी सराय देवराय थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

1. मु0अ0सं0 318 / 24 धारा 115(2),126(2)/109 बीएनएस थाना कोतवाली देहात

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

उ0नि0 मृत्युंजय पाण्डेय मय हमराह का0 विजय बहादुर, का0 आशुतोष तिवारी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

पुलिस अधीक्षक द्वारा चेकिंग के दिए गये हैं सख्त निर्देश

थाना संग्रामगढ़ पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना से संबंधित शातिर 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

चोर द्वारा अलग-अलग जगहों से मोटर साइकिल चोरी कर धोखे से ग्राहको को बेच दिया जाता था

चेकिंग के दौरान चोरी की 03 अदद मोटर साईकिल व 05 अदद एंड्राइड मोबाइल फोन व 01 अदद कीपैड मोबाइल फोन बरामद

थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत लखपेेड़ा चौकी के पास से 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 23.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी), प्रतापगढ़ श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी संग्रामगढ़ सत्येन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में उ0नि0 राजेश कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 अमित सिंह मय हमराह प्रशि0 उ0नि0 विनय वर्मा ,का0 धनञ्जय श्रीवास्तव , का0 मनदीप सिंह, का0 केवल साहू द्वारा देखभाल क्षेत्र, संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के

दौरान, थाना क्षेत्रान्तर्गत थाना लखपेड़ा चौकी के पास से 01 अभियुक्त 1- रमेश यादव पुत्र मथुरा प्रसाद निवासी ग्राम सहजनी चण्डीला थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त रमेश यादव के कब्जे से 01 मोटर साइकिल हीरो स्प्लेण्डर, फर्जी नम्बर प्लेट के साथ व चोरी के 05 अदद मोबाइल फोन चोरी के बरामद किया गया।

पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि यह गाड़ी व मोबाइल फोन सब चोरी के हैं। जिन्हें बेचकर व नम्बर प्लेट बदलकर चलाता हूं ताकि पकड़ा न जा सकूं। सही ग्राहक मिलने पर मोबाइल फोन व मोटर साइकिल बेच देता हूं। मिले पैसों से अपना व अपने परिवार का खर्च चलाता हूं। मोटर साइकिल का चेचिस नं ई चालान ऐप से चेक करने पर पता चला कि वाहन स्वामी का नाम संदीप कुमार पुत्र नन्दलाल निवासी ग्राम समसपुर सैलवारा थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ अंकित है। पकड़े गये व्यक्ति ने बताया कि 02 मोटर साइकिल और चोरी की हैं जिन्हें अशोगी गांव के पास बने भट्टे में छिपा कर रखा है। अभियुक्त की निशानदेही पर हीरो डीलक्स रंग काला लाल सफेद बिना नम्बर व हीरो सुपर स्पेलेण्डर रंग काला नीला नारंगी बिना नम्बर जो छिपाकर रखी गयी थी को बरामद कराया।

उपरोक्त अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 03 अदद मोटर साईकिल व 05 अदद एंड्राइड मोबाइल फोन व 01 अदद की पैड़ मोबाइल फोन बरामद किया गया, उपरोक्त बरामदगी के संबंध में थाना संग्रामगढ़ पर मु0अ0सं0 220/2024 धारा धारा 317(2), 317(4), 317(5), 338, 336(3), 340(2), 319(2), 318(4) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1-रमेश यादव पुत्र मथुरा प्रसाद निवासी ग्राम सहजनी चण्डीला थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

रमेश यादव पुत्र मथुरा प्रसाद निवासी ग्राम सहजनी चण्डीला थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

1. मु0अ0सं0 245/15 धारा 41/411 भादवि थाना डीह जनपद रायबरेली
2. मु0अ0सं0 61/19 धारा 3/25 आर्स्म एक्ट थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ
3. मु0अ0सं0 276/2023 धारा 411/413/414/419/420/467/ 468/ 471 भादवि थाना संग्रामगढ, प्रतापगढ़
4. मु0अ0सं0 220/2024 धारा धारा 317(2), 317(4), 317(5), 338, 336(3), 340(2), 319(2), 318(4) बीएनएस

बरामदगी-

चोरी की 03 अदद मोटर साईकिल व चोरी के 05 अदद एंड्राइड मोबाइल फोन बरामद।

01- मोटर साईकिल HERO SPLENDER + रंग काली-लाल

02- HERO Deluxe रंग काली –लाल सफेद बिना नं0

03- HERO Super Splendor रंग नीला काला नारंगी

05 अदद एंड्राएड मोबाइल व 01 अदद कीपैड मोबाइल

1. Redme Note 7 Pro रंग नीला
2. Oppo 15S रंग नेवी ब्लू
3. Samsung की पैड Model GTE
4. Vivo रंग हल्का नीला है
5. Realme 8-5G रंग ग्रे
6. Redme Note-11 रंग काला

पुलिस टीम-

उ0नि0 अमित सिंह मय हमराह प्रशि0 उ0नि0 विनय वर्मा ,का0 धनञ्जय श्रीवास्तव , का0 मनदीप सिंह, का0 केवल साहू राय थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी
पुलिस अधीक्षक द्वारा चेकिंग के दिए गये हैं सख्त निर्देश
हत्या का प्रयास, चोरी,धमकी व गाली-गलौज की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार
चेकिंग के दौरान थाना अंतू पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत उमरी मोड़ से 01 अभियुक्त गिरफ्तार
अभियुक्त मुकेश वर्मा थाना अंतू के हत्या का प्रयास, मारपीट, धमकी व गाली-गलौज के मुकदमें मु0अ0सं0- 53/23 धारा 147,148,504,506,307,379 भादवि0 में था वांछित।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी), प्रतापगढ़ श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैश के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अंतू जितेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में दिनांक 23.09.2024 को उ0नि0 जय किशन मय हमराह उ0नि0 पारस नाथ का0 अंकित यादव, का0 शिवम राजपूत द्वारा देखभाल क्षेत्र, लंबित विवेचना, चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना अंतू के मु0अ0सं0- 53/23 धारा 147,148,504,506,307,379 भादवि0 के वांछित अभियुक्त मुकेश वर्मा पुत्र बृजभूषण वर्मा निवासी ग्राम खुशियाल का पुरवा थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र के उमरी मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मुकेश वर्मा पुत्र बृजभूषण वर्मा निवासी ग्राम खुशियाल का पुरवा थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 जय किशन मय हमराह उ0नि0 पारस नाथ का0 अंकित यादव, का0 शिवम राजपूत थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

एसपी डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में थाना लीलापुर पुलिस द्वारा लूट की घटना में वांछित 02 बदमाश गिरफ्तार

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा लूट के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, लूट का 01 मोबाइल व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद

थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत रहिमाकुली चौराहे के पास से दोनों अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

बीती 14 सितंबर को ई रिक्शा सवार एक छात्रा के हाथ से मोबाइल छीन कर भाग गये थे

प्रतापगढ़।

दिनांक 14.09.2024 की दोपहर में थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत तिना चितरी गेट के पास ई रिक्शा सवार छात्रा से मोटर साइकिल से आये अज्ञात बदमाशों द्वारा मोबाइल लूट कर भाग निकले थे। घटना की सूचना पर उच्चाधिकारी के नेतृत्व में थाना लीलापुर पुलिस द्वारा मौके पर घटना स्थल का निरीक्षण कर प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लीलापुर में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के निर्देशन में गठित टीम द्वारा इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों/मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान आज दिनांक 23.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर घटना से संबंधित 02 अभियुक्तों को लूट के 01 अदद मोबाइल व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा उपरोक्त घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तों को चिन्हित कर गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर संबंधित को कड़े निर्देश दिये गये थे। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय एंव क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के मार्गदर्शन/पर्यवेक्षण में आज दिनांक 23.09.2024 को प्रभारी निरीक्षक थाना लीलापुर श्री नरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 रामनरेश, उ0नि0 शैलेश कुमार मय हमराह हे0का0 प्रेमपाल यादव , का0 राहुल सिंह द्वारा थाना लीलापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 357/24 धारा 309(4),317(3)/3(5) बीएनएस में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान इलेक्ट्रॉनिक/मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर मुखबिर की सूचना से 02 अभियुक्तों पियूष मौर्या पुत्र रामराज मौर्या व हिमांशु मौर्या पुत्र राकेश मौर्या निवासीगण कांछा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ को लूट के 01 अदद मोबाइल व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल के साथ थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत रहिमाकुली चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण –

1- पियूष मौर्या पुत्र रामराज मौर्या निवासी कांछा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

2- हिमांशु मौर्या पुत्र राकेश मौर्या निवासी कांछा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

01 अदद सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल

01 मोटर साइकिल सुपर स्प्लेण्डर

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोगों का एक गिरोह है । हम लोग आसपास के क्षेत्रों में रैकी कर लूट की घटनाओं को अंजाम देते हैं । दिनांक 14.09.2024 की दोपहर में हम लोग (पियूष, हिमांशु उपरोक्त निवासीगण कांछा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़) एक राय होकर एक लड़की की दूर से ही रेकी करते हुए तिना चितरी गेट के सामने से जबरजस्ती उसके हाथ से मोबाइल छीन कर भाग गये थे। इसी साइकिल सुपर स्प्लेण्डर UP72BH4359 से लूट की घटना को अंजाम दिया था। हम लोग मिलकर भीडभाड वाले स्थानों से मोबाइल लूट कर भाग जाते है।

पुलिस टीम -

उ0नि0 रामनरेश, उ0नि0 शैलेश कुमार मय हमराह हे0का0 प्रेमपाल यादव , का0 राहुल सिंह थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।

बयानः- अपराध में संलिप्त अपराधी कितना ही शातिर क्यों न हो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजने का कार्य करती है, प्रतापगढ़ पुलिस अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्यवाही करने के लिए कटिबद्ध है ।

डॉ0 अनिल कुमार,

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़।